तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 87 / 2020 अनवान हैराजराम वगैराह बनाम फूसाराम के कायम मुकाम वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पचायत मुख्यालय धने का तला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 22.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, धने का तला रा.उ.प्रा.वि.धने का तला पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
22.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय धने का तला रा.उ.प्रा.वि. धने का तला पर पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण फूसाराम का देहान्त होने से उसके कायम मुकाम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1104 / 841 रकबा 60.00 बीघा ग्राम धन्ने का तला पटवार मण्डल शिवकर में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 841 / 1074 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के कायम मुकान द्वारा निवेदन किया गया कि उनके खेत के दोनो तरफ प्रार्थीगण के खेत आये हुऐ है जिसमे खसरा नंबर 1106 / 843 का खेत सडक से लगता हुआ है एवं इसी खसरे का लगता हुआ खसरा नंबर 1104 / 841 आया हुआ है अर्थात् प्राथीगण स्वयं का खेत सड़क से जुड़ा हुआ है फिर अप्रार्थीगण के खेत से रास्ते का कोई औचित्य नही है। अतः कटाण रास्ते से जुडे होने का विकल्प मौजूद होने से प्रार्थी का आवेदन काबिल खारिज है। प्रार्थी को मौके के अनुसार आवागमन हेतु कटाण रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि में से रास्ता सुखाचार हेतु दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	